



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2103]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 16, 2014/आश्विन 24, 1936

No. 2103]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2014/ASVINA 24, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2014

**का.आ. 2648(अ).**—केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ज) के उप-खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट करती है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वैदेशिक स्रोत के रूप में नहीं माने जाएंगे :-

“प्रकृति और प्राकृतिक साधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आई.यू.सी.एन.)”

[फा. सं. II/21022/23(66)/2014-एफसीआरए-III]

जी. के. द्विवेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2014

**S.O. 2648(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of Clause (j) of sub-section (1) of Section 2 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby specifies that the following international organisation shall not be treated as foreign source for the purposes of the said Act :—

“International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)”

[F. No. II/21022/23(66)/2014-FCRA-III]

G.K. DWIVEDI, Jt. Secy.